पत्रांक 4218 /सू.एव.लो.सं.वि (प्रेस)/86/2004

प्रेषक,

निदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर,
उत्तराखण्ड

देहरादूनः दिनांक 06 फरवरी, 2009

विषय : *जनपद बागेश्वर में प्रेस क्लब भवन के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।*

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 44/सू.विप्रे./प्रेस क्लब /2008–09 दिनांक 15 मई, 2008 के क्रम में शासनादेशा संख्या–31/XXII/2009–4(4) 2006 दिनांक 30 जनवरी, 2009 के द्वारा बागेश्वर प्रेस क्लब के भवन निर्माण संबंधी पुनरीक्षित आगणन हेतु टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रूपये 28.83 लाख (रूपये अट्ठाइस लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान करते हुये एवं उक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में शासनादेश संख्या 229/XXII/2006–4(4)/2006 दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 20 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) को घटाते हुए उक्त निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जानी वाली अवशेष धनराशि रूपये 8.83 लाख (रूपये आठ लाख तिरासी हजार मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में रूपये 8.83 लाख (रूपये आठ लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखी जाती है।

2 उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है, कि मितव्ययी मदों में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैन्युअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

3 आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृति नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई है, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृति करा लें।

4 कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है।

5 एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

6 कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0 नि0 वि0 द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करे।

7 निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए।

8 कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्यक करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

9 निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए। तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

10 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/ XIV –219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

11 उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2220 सूचना तथा प्रसार–60–अन्य–103–प्रेस सूचना सेवायें–03–उत्तराखण्ड में प्रेस क्लबों की स्थापना–00–24–वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

12 उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–144 P /वित्त अनु0–5/2008, दिनांक 27 जनवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
निदेशक, सूचना

पत्रांक /सू.एव.लो.सं.वि (प्रेस)/14/2001 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 सूचना मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी
5. मुख्य कोषाधिकारी,
6. जिला सूचना अधिकारी,
7. वित्त अनुभाग–5
8. एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।

(सुबर्द्धन)
निदेशक, सूचना

D:\sajwan\Latter\administer ramesh ram ji.doc